


विविध बैंक प्र0सं0 90/2017 पंजाब नेशनल बैंक प्रधान कार्यालय 7 भीखाजी, कामा प्लेस, अफ्रीका ऐवन्यू, नई दिल्ली शाखा जौहरी बाजार जयपुर बनाम 1- ऋणी मैसर्स सुरेन्द्र डिजाईनर आर्ट प्रोपराईटर श्री राजेन्द्र कुमार वधवा दुकान न0 35, प्रथम तल, धुला हाउस रोड़, बापू बाजार जयपुर 2-प्रोपराईटर-जमानती-बंधककर्ता श्री राजेन्द्र कुमार वधवा पुत्र श्री जगदीश चन्द वधवा मकान न0 2-बी-25 सुखाडिया नगर श्रीगंगानगर व व्यवसायिक अहाता न0 01 पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर 3-जमानती व बंधककर्ता श्री जगदीशचन्द वधवा पुत्र श्री ठाकरदास मकान न0 2-बी-25 सुखाडिया नगर, श्रीगंगानगर व दुकान न0 20, न्यू क्लॉथ मार्केट, 15 नेशनल हाई वे, सूरतगढ़ रोड़, श्रीगंगानगर



**09.01.2018**

प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक के अभिभाषक श्री जलविन्द्र सिंह उपस्थित है। प्रार्थी बैंक के अभिभाषक ने फहरिस्त सूचि में अंकित दस्तावेजात की प्रतियां पेश कि जो शामिल पत्रावली की गई। प्रार्थी बैंक के अभिभाषक की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक के अभिभाषक का कथन है कि उनके द्वारा एक प्रा0 पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है (जिसे आगे अधिनियम कहा जाकर सम्बोधित किया जावेगा) कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी मैसर्स सुरेन्द्र डिजाईनर आर्ट को ऋण सुविधा के रूप में दिनांक 08.07.2015 को केश क्रेडिट के रूप में 1,50,00,000/-रुपये (अखरे एक करोड़ पचास लाख रुपये) एवं एडहाक लिमिट 22,50,000/-रुपये (अखरे बाईस लाख पचास हजार रुपये) कुल 1,72,50,000/-रुपये (एक करोड़ बहतर लाख पचास हजार रुपये) स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की ऐवज में अप्रार्थी 1-राजेन्द्र कुमार वधवा पुत्र श्री जगदीश चन्द वधवा ने अपनी सम्पति प्लाट न0 एल 20 किला न0 19,20,21,22 चक 6ई छोटी मुरब्बा न0 45, आनंद विहार कोलोनी, श्रीगंगानगर माप 100'6" इन्टू 225' कुल 22612 वर्गफुट जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि सम्पति के अभिन्न अंग है। 2-श्री जगदीश चन्द वधवा पुत्र श्री ठाकरदास ने अपनी सम्पति दुकान न0 20, चक 3ई छोटी, मु0न0 35(पुराना), 37(नया) न्यू क्लॉथ मार्केट, नेशनल हाईवे-15, सूरतगढ़ रोड़, श्रीगंगानगर माप 12' इन्टू 28' कुल 336 वर्गफुट जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि सम्पति के अभिन्न अंग है। 3-मैसर्स सुरेन्द्र डिजाईनर आर्ट का दृष्टिबंधक सभी प्रकार का रेडिमेट गारमेन्ट्स का स्टॉक, लेडिज सूट, पर्स, कुतियों व अन्य समरूप सामान शामिल है जो मैसर्स सुरेन्द्र डिजाईनर आर्ट के दुकान प0 35, प्रथम तल, धुला हाउस रोड़, बापू बाजार, जयपुर, राजस्थान पर स्थित है को प्रार्थी बैंक के पास रहन रखा। अप्रार्थीगण द्वारा ऋण एव ब्याज का भुगतान नही करने के कारण उनका ऋण खाता दिनांक 31.12.2016 को एनपीए हो गया है। अप्रार्थी ऋणी मैसर्स सुरेन्द्र डिजाईनर आर्ट के खाता में दिनांक 31.12.2016 तक ऋण एवं ब्याज राशि 1,84,66,446-रुपये एवम दिनांक 01.01.17 से आगे का ब्याज तथा अन्य खर्च बकाया है। अप्रार्थीयान ऋणी/गारन्टर को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस के रजि0 नोटिस दिनांक

सिंह  
जिला मजिस्ट्रेट  
श्री गंगानगर

P.T.V

06.01.2017 को जारी किये गये। नोटिस प्राप्ति के बावजूद अप्रार्थीयान द्वारा बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि का भुगतान नहीं किया है और न ही नोटिस के संबंध में कोई आक्षेप या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। इसलिए अप्रार्थीयान द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी सम्पत्ति 1—राजेन्द्र कुमार वधवा पुत्र श्री जगदीश चन्द वधवा की सम्पत्ति प्लॉट न० एल 20 किला न० 19,20,21,22 चक 6ई छोटी मुर्ब्बा न० 45, आनंद विहार कोलोनी, श्रीगंगानगर माप 100'6" इन्डू 225' कुल 22612 वर्गफुट जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। 2—श्री जगदीश चन्द वधवा पुत्र श्री ठाकरदास की सम्पत्ति दुकान न० 20, चक 3ई छोटी, मु०न० 35(पुराना), 37(नया) न्यू क्लॉथ मार्केट, नेशनल हाईवे-15, सूरतगढ़ रोड़, श्रीगंगानगर माप 12' इन्डू 28' कुल 336 वर्गफुट जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। 3—मैसर्स सुरेन्द्र डिजाईनर आर्ट का दृष्टिबंधक सभी प्रकार का रेडिमेट गारमेन्ट्स का स्टॉक, लेडिज सूट, पर्स, कुत्तियों व अन्य समरूप सामान शामिल है जो मैसर्स सुरेन्द्र डिजाईनर आर्ट के दुकान प० 35, प्रथम तल, धुला हाउस रोड़, बापू बाजार, जयपुर, राजस्थान पर स्थित है का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी ऋणी राजेन्द्र वधवा स्वयं की ओर से लिखित आपत्तियां दिनांक 20.11.17 को न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत की है कि हस्तगत प्रकरण में सम्पत्ति 1 पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर गिरवी रखी हुई है इसी सम्पत्ति से संबंधित अन्य 8 प्रकरण भी इस न्यायालय में लंबित है जिनमें कब्जा प्राप्त करने के लिये प्रार्थी बैंक द्वारा निवेदन किया गया है। इस सम्पत्ति बाबत पूर्व में इन्ही अधिकारियों के द्वारा एन.ओ.सी. जारी की गयी थी जिसके संबंध में विचारण किया जाना है। इन सभी प्रकरणों के बैंक के ऋण खातों में गड़बड़ है जिसका प्रमाण अन्य प्रकरणों में पूर्व में दिनांक 15.11.17 को दिया जा चुका है। इसलिए बैंक का धारा 14 का प्रा० पत्र निरस्त किया जावे।

इसके विपरीत प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने 2016(4) डीएनजे (राज०) 1814 राज० हाईकोर्ट अनवानी पंकज कुमार डगरिया एव अन्य बनाम जिला मजि० उदयपुर एवं अन्य का हवाला देते हुए कथन किया कि इस मामले में ऋणी द्वारा प्रस्तुत किसी भी आपत्ति की सुनवाई करने की इस न्यायालय को कोई अधिकारिता नहीं है। इसलिए अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों पर विचार नहीं किया जा सकता। अप्रार्थी ऋणी को बैंक द्वारा की जा रही कार्यवाही पर कोई आपत्ति है तो वह सक्षम अथोरिटी के समक्ष चाराजोही कर सकते हैं।

उनका आगे यह भी कथन है कि चूंकि बैंक की सम्पूर्ण बकाया ऋण राशि अप्रार्थीगण द्वारा जमा नहीं करवाई गई है इसलिए प्रार्थी बैंक का धारा 14 का प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी राजेन्द्र कुमार वधवा पुत्र श्री जगदीश चन्द वधवा व श्री जगदीश चन्द वधवा पुत्र श्री ठाकरदास निवासी 2—बी—25 सुखाडिया नगर, श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखी

गयी 1-राजेन्द्र कुमार वधवा पुत्र श्री जगदीश चन्द वधवा की सम्पत्ति प्लाट न० एल 20 किला न० 19,20,21,22 चक 6ई छोटी मुरब्बा न० 45, आनंद विहार कोलोनी, श्रीगंगानगर माप 100'6" इन्टू 225' कुल 22612 वर्गफुट जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। 2-श्री जगदीश चन्द वधवा पुत्र श्री ठाकरदास की सम्पत्ति दुकान न० 20, चक 3ई छोटी, मु०न० 35(पुराना), 37(नया) न्यू क्लॉथ मार्केट, नेशनल हाईवे-15, सूरतगढ़ रोड़, श्रीगंगानगर माप 12' इन्टू 28' कुल 336 वर्गफुट जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। 3-मैसर्स सुरेन्द्र डिजाईनर आर्ट का दृष्टिबंधक सभी प्रकार का रेडिमेट गारमेन्ट्स का स्टॉक, लेडिज सूट, पर्स, कुत्तियों व अन्य समरूप सामान शामिल है जो मैसर्स सुरेन्द्र डिजाईनर आर्ट के दुकान प० 35, प्रथम तल, धुला हाउस रोड़, बापू बाजार, जयपुर, राजस्थान पर स्थित है का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने उक्त तर्कों पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि पूर्व में इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 44/17 में दिये गये आदेश दिनांक 31.07.2017 की पालना में प्रार्थी बैंक की ओर से यह प्रकरण अलग से तैयार कर प्रस्तुत किया है जिसके अवलोकन से पाया कि प्रार्थी बैंक ने मैसर्स सुरेन्द्र डिजाईनर आर्ट को ऋण सुविधा के रूप में दिनांक 08.07.2015 को केश क्रेडिट के रूप में 1,50,00,000/- रुपये (अखरे एक करोड़ पचास लाख रुपये) एवं एडहाक लिमिट 22,50,000रुपये (अखरे बाईस लाख पचास हजार रुपये) कुल 1,72,50,000रुपये (एक करोड़ बहतर लाख पचास हजार रुपये) स्वीकृत किया था और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थीगण राजेन्द्र कुमार वधवा, श्री जगदीश चन्द वधवा ने अपनी सम्पत्ति 1-प्लाट न० एल 20 किला न० 19,20,21,22 चक 6ई छोटी मुरब्बा न० 45, आनंद विहार कोलोनी, श्रीगंगानगर माप 100'6" इन्टू 225' कुल 22612 वर्गफुट जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। 2-दुकान न० 20, चक 3ई छोटी, मु०न० 35(पुराना), 37(नया) न्यू क्लॉथ मार्केट, नेशनल हाईवे-15, सूरतगढ़ रोड़, श्रीगंगानगर माप 12' इन्टू 28' कुल 336 वर्गफुट जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। 3-मैसर्स सुरेन्द्र डिजाईनर आर्ट का दृष्टिबंधक सभी प्रकार का रेडिमेट गारमेन्ट्स का स्टॉक, लेडिज सूट, पर्स, कुत्तियों व अन्य समरूप सामान शामिल है जो मैसर्स सुरेन्द्र डिजाईनर आर्ट के दुकान प० 35, प्रथम तल, धुला हाउस रोड़, बापू बाजार, जयपुर, राजस्थान पर स्थित है को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। प्रार्थी बैंक के प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीयान को प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 06.01.2017 को बकाया ऋण राशि मय ब्याज जमा करवाने हेतु अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस के रजि० नोटिस जारी किये किन्तु अप्रार्थीयान द्वारा नोटिस प्राप्ति के बावजूद न तो बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा करवाई और न ही मांग नोटिस के सम्बन्ध में कोई आक्षेप या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गयी उक्त सम्पत्ति का कब्जा पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाने के आदेश चाहे हैं।

अप्रार्थी ऋणी राजेन्द्र वधवा द्वारा स्वतः ही दिनांक 20.11.17 को उपस्थित आकर प्रार्थी बैंक द्वारा की गई कार्यवाही को निरस्त किये जाने के संबंध में जो आपतियां की है उनके सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा विचार किया जा सकता है अथवा नहीं? इस सन्दर्भ में प्रार्थी बैंक के अभिभाषक ने हमारा ध्यान 2016(4) डीएनजे (राज०) 1814 राज० हाईकोर्ट अनवानी पंकज कुमार डगरिया एव अन्य बनाम जिला मजि० उदयपुर एवं अन्य की ओर दिलाया है जिसके पैरा 14, 15, 16, 17 में निम्न व्यवस्था दी गई है:-

14. From bare reading of section 14 of the act of 2002, it is clear that the District Magistrate is not required to give any notice to borrowers, guarantors or any other person while dealing with the application under Section 14 of the Act of 2002.

15. The Division Bench of Bombay High Court after taking into consideration its earlier pronouncements as well as the decision of Hon'ble Supreme Court on the point in issue has held that the action of the District Magistrates and Chief Metropolitan Magistrates of issuing notices to the borrowers, guarantors or any other person providing them opportunity of hearing or allowing them to file objections is contrary to law laid down by the Hon'ble Supreme court and various other high courts.

16. I am in perfect agreement with the law laid down by the Bombay High Court in above referred decisions. More over, as per the decision of Hon'ble Supreme Court in United Bank of India Vs. Satyawati Tondon & Ors., (Supra), the petitioners have an alternate remedy to file an appeal under Section 17 of the Act of 2002 against any order passed by the District Magistrate on the application under Section 14 of the act of 2002 filed by the respondents.

17. In view of the above discussions, reliefs prayed for by the petitioners in this petition cannot be granted. Hence, the instant writ petition fails and is hereby dismissed.

There Shall be no order as to costs.

चूंकि वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रा० पत्र में ऋणी, जमानतदार अथवा अन्य किसी व्यक्ति को सुने जाने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा ही मत माननीय उच्च न्यायालय राज० जोधपुर द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टान्त में व्यक्त किया गया है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय के उक्त न्यायिक निर्णय के प्रकाश में अप्रार्थी ऋणी द्वारा दिनांक 20.11.17 को प्रस्तुत की गयी आपतियों पर किसी प्रकार से विचार नहीं किया जा सकता।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के नाम से धारा 13(2) के अन्तर्गत रजि० डाक से नोटिस दिनांक 06.01.17 को भिजवाये गये है और परिणाम स्वरूप रजिस्टर्ड ए.डी. रसीद राजेन्द्रकुमार वधवा, जगदीश चन्द वधवा एवं मैसर्स सुरेन्द्र डिजाईनर की पेश की है और प्रार्थी बैंक के शपथ पत्र दिनांक

श. 11.11.17  
जिला मजिस्ट्रेट  
श्री संनानगर

08.09.17 के अनुसार भी अप्रार्थीयान को नोटिस प्राप्त हो चुके है। इस प्रकार नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी अप्रार्थीयान ऋणी/गारन्टर द्वारा प्रार्थी बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नहीं करवाई गई है और न ही नोटिस के संबंध में उनके द्वारा कोई जबाब या अभ्यावेदन प्रार्थी बैंक को प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी राजेन्द्र कुमार वधवा पुत्र श्री जगदीश चन्द वधवा व श्री जगदीश चन्द वधवा पुत्र श्री ठाकरदास द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखी गयी सम्पत्ति 1-प्लाट न० एल 20 किला न० 19,20,21,22 चक 6ई छोटी मुरब्बा न० 45, आनंद विहार कोलोनी, श्रीगंगानगर माप 100'.6" इन्टू 225' कुल 22612 वर्गफुट जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। 2-दुकान न० 20, चक 3ई छोटी, मु०न० 35(पुराना), 37(नया) न्यू क्लॉथ मार्केट, नेशनल हाईवे-15, सूरतगढ़ रोड़, श्रीगंगानगर माप 12' इन्टू 28' कुल 336 वर्गफुट जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना आवश्यक है।

चूंकि प्रार्थी बैंक द्वारा मैसर्स सुरेन्द्र डिजाईनर आर्ट का दृष्टिबंधक सभी प्रकार का रेडिमेट गारमेन्ट्स का स्टॉक, लेडिज सूट, पर्स, कुत्तियाँ व अन्य समरूप सामान का भौतिक कब्जा प्राप्ति के आदेश भी चाहे है। उक्त फर्म मैसर्स सुरेन्द्र डिजाईनर आर्ट, जयपुर में स्थित है न कि जिला श्रीगंगानगर में। जिसका क्षेत्राधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता को नहीं है। इसलिये इस सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को क्षेत्राधिकार के अभाव में नहीं दिलाया जा सकता।

अतः प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र धारा 14 सम्पत्ति संख्या 1 व 2 की हद तक स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थीयान राजेन्द्र कुमार वधवा पुत्र श्री जगदीश चन्द वधवा व श्री जगदीश चन्द वधवा पुत्र श्री ठाकर दास द्वारा ऋण की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखी गयी सम्पत्ति 1-प्लाट न० एल 20 किला न० 19,20,21,22 चक 6ई छोटी मुरब्बा न० 45, आनंद विहार कोलोनी, श्रीगंगानगर माप 100'.6" इन्टू 225' कुल 22612 वर्गफुट जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। 2-दुकान न० 20, चक 3ई छोटी, मु०न० 35(पुराना), 37(नया) न्यू क्लॉथ मार्केट, नेशनल हाईवे-15, सूरतगढ़ रोड़, श्रीगंगानगर माप 12' इन्टू 28' कुल 336 जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि सम्पत्ति के अभिन्न अंग है।, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्ति हेतु उनके चाहे अनुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 09.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( ज्ञाना राम )

जिला मजिस्ट्रेट  
श्री गंगानगर